



(टिप्पणी एवं आदेश)
(उ०प्र० जल निगम)

जिलाधिकारी महोदया, देवरिया।

जनपद देवरिया में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना "हर घर जल" जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद देवरिया के ग्रामीण क्षेत्र के कुल 16 विकास खण्डों में 1910 राजस्व ग्राम हैं। जिसमें से 315 ग्रामों में जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित योजनाओं से आच्छादित हैं एवं 1595 राजस्व ग्रामों को जल जीवन मिशन फेज-2 (1015 राजस्व ग्राम) एवं फेज-3 (580 राजस्व ग्राम) में सम्मिलित किया गया है। फेज-2 के अन्तर्गत मे० एल०सी० इन्फ्रा अहमदाबाद द्वारा कुल 692 राजस्व ग्राम, मे० गायत्री-रामकी(जेवी) हैदराबाद द्वारा कुल 323 राजस्व ग्राम एवं फेज-3 के अन्तर्गत मे० त्रिद्विक-कोया(जेवी) हैदराबाद द्वारा कुल 459 राजस्व ग्राम व मे० यूनिवर्सल एम०ई०पी० लि० ठाणे द्वारा कुल 1595 राजस्व ग्रामों में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कराते हुए पेयजल जल से आच्छादित कराना सम्मिलित है। इस प्रकार जनपद देवरिया में कुल 1910 राजस्व ग्रामों में से 1910 राजस्व ग्राम पेयजल योजनाओं से आच्छादित होंगे।

उक्त के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) के पत्र संख्या 1726/011-जे०जे०एम०/25 दिनांक 15.10.2025 (पताका-क) एवं 1977/011-जे०जे०एम०/25 दिनांक 29.11.2025 (पताका-ख) का अवलोकन करना चाहें जिसमें उल्लेख किया गया है कि समस्त जनपदों में पेयजल योजना से यदि कोई राजस्व ग्राम व मजरा पेयजल से आच्छादित होने से छूट गया हो तो इस संबंध में परीक्षण कराकर डी०डब्ल्यू०एस०एम० द्वारा समीक्षा करते हुए छूटे हुए राजस्व ग्रामों की सूचना संलग्न प्रारूप पर प्रेषित की जाए।

अतः उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद अन्तर्गत समस्त 1910 राजस्व ग्राम व मजरें पेयजल योजनाओं से आच्छादित होने से छूटे होने से सम्बन्धित पत्रावली दांयी ओर प्रस्तुत है, कृपया सहमती की दशा में अनुमोदनोंपरान्त हस्ताक्षर करना चाहें।


सदस्य सचिव/अधिशाली अभियन्ता


मुख्य विकास अधिकारी
देवरिया


8/12
जिलाधिकारी
देवरिया



कार्यालय जिलाधिकारी, देवरिया

Office of the District Magistrate, Deoria

पत्रांक 1798 / कार्य-08 1277 दिनांक 11/12/2025

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:—जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत छूटे हुए ग्राम के मजरों के डी०पी०आर० के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1726/011-जे०जे०एम०/25 दिनांक 15.10.2025 के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद देवरिया में पेयजल योजना से कोई भी ग्राम/मजरा अनाच्छादित नहीं है, जिसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(दिव्या मित्तल)
जिलाधिकारी
देवरिया

पृ०सं० / / दिनांक / / 2025
प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, देवरिया।
4. मुख्य अभियन्ता(गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
6. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), देवरिया।

जिलाधिकारी

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), देवरिया
जल जीवन मिशन कार्यक्रम से अनाच्छादित(छूटे हुए) राजस्व ग्राम एवं मजरो की सूचना प्रारूप

क्र०सं०	जनपद का नाम	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	पाइप पेयजल योजना से आच्छादित राजस्व ग्रामों की संख्या	पाइप पेयजल योजना से अनाच्छादित आबाद राजस्व ग्रामों/मजरो की संख्या	पाइप पेयजल योजना से अनाच्छादित आबाद राजस्व ग्रामों/मजरो का विवरण			टिप्पणी
					विकास खण्ड	राजस्व ग्राम/मजरो का नाम	हाउस होल्ड की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	देवरिया	1910	1910		-शून्य-			जनपद देवरिया में कुल 05 तहसीलों के अन्तर्गत 16 विकास खण्डों में 1910 राजस्व ग्राम हैं, जिसमें 315 ग्रामों में जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित योजनाओं से आच्छादित हैं एवं 1595 राजस्व ग्रामों को जल जीवन मिशन फेज-2 (1015 राजस्व ग्राम) एवं फेज-3 (580 राजस्व ग्राम) में सम्मिलित किया गया है। फेज-2 के अन्तर्गत मे० एल०सी० इन्फ्रा अहमदाबाद द्वारा कुल 692 राजस्व ग्राम, मे० नायत्री-रामकी(जेवी) हैदराबाद द्वारा कुल 323 राजस्व ग्राम एवं फेज-3 के अन्तर्गत मे० त्रिविक-कोया(जेवी) हैदराबाद द्वारा कुल 459 राजस्व ग्राम व मे० यूनिवर्सल एम०ई०पी० लि० ठाणे द्वारा कुल 121 राजस्व ग्रामों में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कराते हुए उपरोक्त समस्त फर्मों द्वारा कुल 1595 नग राजस्व ग्रामों को पेयजल जल से आच्छादित कराना सम्मिलित है। इस प्रकार जनपद देवरिया में कुल 1910 राजस्व ग्रामों में से 1910 राजस्व ग्राम पेयजल योजनाओं से आच्छादित होंगे।


अधिशाली अभियन्ता
खण्ड कार्यालय
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
देवरिया


जिलाधिकाारी
देवरिया



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)

प्रधान कार्यालय: 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ - 226001
पत्रांक : 1977/011-उ.ज.न.
दिनांक: 29.11.2025

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

विषय: जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत छूटे हुए ग्राम के मजराओं के डी.पी.आर. के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या-1726/011-जे.जे.एम./25 दिनांक 15.10.2025 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्र द्वारा सभी मण्डलों/जनपदों में पेयजल योजना से छूटे हुए मजराओं/राजस्व ग्रामों के संबंध में परीक्षण कराकर डी0डब्लू0एस0एम0 द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। पुनः इस बिन्दु पर डी0डब्लू0एस0एम0 द्वारा समीक्षा करते हुए यदि कोई राजस्व ग्राम व मजरा पेयजल योजना से आच्छादित होने से छूट गया हो तो उसकी सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, जो अभी तक वांछित है।

अतः आपसे अपेक्षा की है कि अपने मण्डलान्तर्गत/जनपदों के राजस्व ग्राम व मजराओं की सूचना प्रारूप पर भरवाकर प्रत्येक दशा में दिनांक 05.12.2025 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा० राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

प्र.सं.एवं दि.यथोपरि:-

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. संयुक्त प्रबंध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)।

प्रबन्ध निदेशक



Scanned with OKEN Scanner